हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

तृतीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 23

शुक्रवार, 24 अगस्त, 2018/2 भाद्रपद, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

बैठक प्रारंभ होते ही श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने उनके, श्रीमती आशा कुमारी तथा श्री राम लाल ठाकुर द्वारा नियम 67 के अंतर्गत दिए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा,

> "आज दिनांकः 24.08.2018 को प्रातः 9.45 बजे माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर, श्री मुकेश अग्निहोत्री व श्रीमती आशा कुमारी जी से नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, देवभूमि में लगातार हत्या व बलात्कार की जो घटनाएं घटित हो रही है; नशा, खास तौर पर सिंथैटिक ड्रग्ज और जो माफिया राज्य में सरगर्म है, उसका उल्लेख है। मैंने इन सूचनाओं को तत्काल सरकार को वस्तुस्थिति जानने हेतु प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार से विस्तृत उत्तर प्राप्त होगा, संबंधित नियम के अन्तर्गत इसको लगाया जाएगा।"

इस पर कांग्रेस विधायक दल के सारे सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की, "अध्यक्ष महोदय, जो उपयुक्त नियम है उसके अन्तर्गत विपक्ष जब भी चर्चा करना चाहे, करे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

विपक्ष के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देते हुए कहा "Rules of Procedure and Conduct of Business in Himachal Pradesh Legislative Assembly Rule-69(2) says 'Not more than one matter shall be discussed on the same motion; Rule-69(9) says 'the motion shall not raise any question which under the Constitution or these rules can only be raised on a distinct motion by a notice given in writing or online to the Secretary; and Rule 69(7) says, 'the motion shall not deal with a matter on which resolution could not be moved.'

विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इसके प्रतिरोध में सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

(11.10 बजे पूर्वाह्न कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।)

संसदीय कार्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा किए गए बहिर्गमन की भर्त्सना की।

अध्यक्ष महोदय ने कहा- "नियम-67 के अन्तर्गत जो नोटिस प्राप्त हुआ था उस नोटिस के उत्तर में मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं यहाँ पर आज एक और विषय बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की नियम-62 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज भी उसमें से एक सूचना चर्चा के लिए लगी है। नियम-101 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं हैं जो वीरवार को चर्चा के लिए लगी हैं और नियम-130 के अन्तर्गत हमें अभी तक 6 नोटिस प्राप्त हुए हैं जिसमें से एक पर आज चर्चा निर्धारित है तथा शेष आने वाले दिनों में लगाए जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। नियम-324 के अन्तर्गत भी अनेक मामले हमारे पास आए है। इस प्रकार का लॉ एण्ड ऑडर एवं नशे का मामला अगर किसी अन्य नियम के अन्तर्गत आया होता तो शायद उसको स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की जाती और अभी भी अगर आएगा तो उसके ऊपर हम गहनता के साथ विचार करेगें।"

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 85 का उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया। स्थगित प्रश्न संख्या 138 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिये गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 591 से 594 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 595 से 634 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 110 से 127 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, **मुख्य मन्त्री** ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 3);

(2) हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 4);

(3) हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2018(2018 का अधिनियम संख्यांक 5);

(4) सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 6);

(5) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 7); और

(6) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 8)।

4. कागज़ात सभा पटल पर

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, तकनीकी सहायक,वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए (3)-19/99 दिनांक 12.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.07.2018 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, कला सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए3(55)99 दिनांक 28.04.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.05.2018 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-53/99 दिनांक 18.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2018 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः3-1/75-फिन (टी0एण्ड0ए0)-IV दिनांक 19.04.2018 द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2018 को प्रकाशित ।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, सहायक आचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I (राजपत्रित) और संविधा भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ए-ख(2)62/2016 दिनांक 27.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2018 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0- सी0-ए(3)-1/2016 दिनांक 22.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.09.2017 को प्रकाशित; और

(iii) अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 26(2) के अन्तर्गत अभिलाषी विश्वविद्यालय मण्डी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम परिनियम, 2017।

(4) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

5. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के पंचम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 47वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2018-19)** ने समिति का 5वां मूल प्रतिवेदन जोकि उद्योग विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

6. नियम समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य, नियम समिति, (वर्ष 2018-19) (तेरहवीं विधान सभा) ने समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर, माननीय वन मंत्री ने मनाली के पास दिनांक 23.08.2018 राहणी नाला सड़क से को ढांक से गिरी **Scorpio** गाड़ी की दुर्घटना में मारे गए 11 लोगों तथा शिमला में खलूट (धौणा) स्थान पर B/CAMPER गाड़ी की दुर्घटना में मारे गए 3 लोगों तथा 2 घायलों बारे वक्तव्य दिया।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री नरेन्द्र बरागटा, सदस्य ने नियम-62 के अन्तर्गत दिनांक 29 जुलाई, 2018 को अमर उजाला में छपे समाचार शीर्षक **"सड़क के मलबे में दबे**

दर्जनों हरे-भरे पेड़" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री नरेन्द्र बरागटा, श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा श्री बलबीर सिंह, सदस्यों ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया -

"प्रदेश में हाल ही में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री अनिरूद्ध सिंह
2. श्री हर्षवर्धन चौहान

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की बैठक 02.05 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा जारीः-

3. श्री नरेन्द्र बरागटा
4. श्री मुकेश अग्निहोत्री
5. श्री बलबीर सिंह
6. श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह
7. श्री राम लाल ठाकुर
8. श्री रमेश चन्द ध्वाला
9. श्रीमती आशा कुमारी

3.00 बजे अपराह्न श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति,पदासीन हुए।

नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा जारीः-

10. श्री सुख राम चौधरी
11. श्री जगत सिंह नेगी

श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चौड़ा मैदान में किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन व नारेबाजी के दौरान उन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की घटना के बारे में स्वतः वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान इस लाठीचार्ज में कई युवा घायल हुए हैं तथा अब उनके ऊपर पुलिस द्वारा झूठे केस बनाए जा रहे हैं।

तत्पश्चात कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सदन में अपने स्थान पर खड़े हो नारेबाजी करने लगे।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा "मुझे लगता है की नारेबाजी का कोई विरोध नहीं करता, नारेबाजी होती रहती है पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से विधान सभा की ओर बढ़ रहे प्रर्दशनकारियों को रोकने का प्रयास कर रही थी लेकिन ऐसी परिस्थिति निर्मित करने की क्या आवश्यकता पड़ी कि जिन डंडों पर झण्डे लगाए गए थे उन डण्डों को उन्होंने पुलिस के ऊपर फैंक दिया? आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? पुलिस के ऊपर पथराव किया गया जिसमें ए.एस.पी. सहित तीन पुलिस कर्मचारी घायल हुए। ये शुरूआत कहां से हुई।"

मुख्य मंत्री के वक्तव्य बीच में ही कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सदन के भीतर अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।

3.51 बजे अपराह्न कांगेस विधायक दल के सदस्य सदन के बहिर्गमन कर गए।

मुख्य मंत्री ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को उत्तेजित करने के लिए जहां कांग्रेस विधायक दल के कुछ नेताओं की निंदा की वहीं बहिर्गमन की भी घोर भर्त्सना की।

मुख्य मंत्री ने नियम-130 के अन्तर्गत हुई चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बरसात के कारण जिन लोगों के घरों के आगे-पीछे लगे डंगे गिर जाते हैं, सरकार उन्हें भी मनरेगा के अन्तर्गत ठीक करने का विचार कर रही है ताकि लोगों के ऐसे घर गिरने के बच सकें। सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "इसके लिए हम आने वाले समय में विचार करेंगे कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन फिलहाल मनरेगा के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसमें उस डंगे को तुरन्त लगाने के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है, इसके लिए हम जिलाधीशों को तुरन्त आदेश देंगे कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति है, सारे काम छोड़ कर; कोई गली टूटी है उसका काम 4 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद हो सकता है लेकिन किसी घर के

आगे या पीछे डंगा टूट गया और वह घर कठिनाई में आ गया और उसके गिरने की परिस्थिति बन गई है तो उसे बचाना निश्चत रूप से प्राथमिकता रहेगी।"

अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य में अपना सुझाव देते हुए कहा -

"माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने जो व्यक्तिगत घरों के आगे-पीछे डंगे लगाने की बात की है उसमें एकमात्र छोटा-सा सुझाव है कि आप इस कार्य को जहां मनरेगा में करेंगे, इसके लिए कुछ-न-कुछ धनराशि का **convergence** के माध्यम से भी प्रावधान करने की भी आवश्यकता है नहीं तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। चाहे वह CRF के माध्यम से आ जाए या CRF के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर्ज़ को आ जाए। इसको देखने की कृपा करें।"

4.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, 27 अगस्त, 2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।

(**डॉ0 राजीव बिन्दल**)
अध्यक्ष

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव